रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4880] नई दिल्ली मंगलवार, दिसम्बर 11, 2018/अग्रहायण 20, 1940
No. 4880] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 11, 2018/AGRAHAYANA 20, 1940

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2018

का.आ. 6110(अ).—जबकि, सेवाएं अथवा लाभ अथवा आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एक पहचान दस्तावेज़ के रूप में आधार के प्रयोग से सरकार की परिदान प्रक्रियाएं सरल बन जाती हैं, पारदर्शिता और कार्यकुशलता आ जाती है और इससे लाभार्थी सुगम और सतत तरीक से अपने हक सीधे प्राप्त कर पाते हैं और आधार से किसी व्यक्ति की पहचान सिद्ध करने के लिए अनेक प्रकार के दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है;

और, जबकि, भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात मंत्रालय कहा गया है) बच्चों के लिए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में यथा-मान्य राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर सेवा-परिदान संरचनाओं का सुरक्षा तंत्र सृजित करने के उद्देश्य से केंद्रीय प्रायोजित बाल संरक्षण सेवा स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) चला रहा है । इस स्कीम में सांविधिक और स्कीम संबंधी सेवा-परिदान संरचनाओं की भागीदारी के माध्यम के साथ-साथ संस्थागत और गैर-संस्थागत देखरेख के माध्यम से बच्चों के पुनर्वास और सामाजिक पुनर्समावेशन की व्यवस्था है;

और, जबकि इस स्कीम में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की परिधि में आने वाले बच्चों (जिसे इसमें इसके पश्चात लाभार्थी कहा गया है) को सेवाएं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ रोकथाम, सांविधिक देखरेख और पुनर्वास सम्मिलित हैं; अथवा नकद या माल के रूप में लाभ, जैसे देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों की देखरेख, उपचार, पोषण, कपड़े, बिस्तर, दैनिक आवश्यकताओं, मनोरंजन आदि (जिसे इसमें इसके पश्चात लाभ कहा गया है) का उपबन्ध है;

और जबकि, उक्त स्कीम में भारत की संचित निधि से खर्च किया जाने वाला आवर्ती व्यय सम्मिलित है;

अब, अत:, केंद्रीय सरकार आधार (वित्तीय वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है), की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात :-

1. (1) स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने के इच्छुक लाभार्थी से आधार रखने का प्रमाण प्रस्तुत करना अथवा आधार प्रमाणीकरण कराना अपेक्षित होगा ।

(2) स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने के इच्छुक किसी पात्र लाभार्थी अथवा बाल कल्याण समिति या किशोर न्याय बोर्ड द्वारा आदेशित किसी लाभार्थी को, जिसके पास आधार संख्या नहीं है अथवा जिसने आधार के लिए अभी नामांकन नहीं कराया है, जहां कहीं संभव हो, अपने माता-पिता की अन्यथा बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष या बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित बाल कल्याण समिति के किसी एक सदस्य की सहमति के अध्यधीन आधार हेतु पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा, परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने का पात्र हो, और ऐसा व्यक्ति आधार हेतु नामांकन के लिए आधार पंजीकरण केंद्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) (यूआईडीएआई) के वेबसाइट www.uidai.gov.in) पर उपलब्ध सूची) को देख सकता है ।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतनीकरण) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के महिला एवं बाल विकास विभाग से ऐसे लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधा प्रदान करना अपेक्षित है, जिनका आधार के लिए अभी नामांकन नहीं हुआ है और जो आधार के लिए नामांकन कराना चाहते हैं और यदि संबंधित ब्लॉक अथवा तालुक अथवा तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र नहीं है तो राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का महिला एवं बाल विकास विभाग भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके अथवा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) का रजिस्ट्रार बनके सुविधाजनक स्थल पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा।

(4) पांच वर्ष से कम आयु के लाभार्थी बच्चों के संबंध में आधार (नामांकन और अद्यतनीकरण) विनियम, 2016 के विनियम 5 में यथा-विहित नामांकन प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा ।

परंतु जब तक व्यक्ति को आधार संख्या नहीं दी जाती तब तक स्कीम के अधीन लाभ ऐसे व्यक्तियों को तभी तक दिए जाएंगे जब तक वे निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं करते अर्थात् :-

(क) **पांच वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के मामले में** :-

(i) यदि बच्चे का पांच वर्ष की आयु के पश्चात नामांकन हुआ हो (बायोमैट्रिक संग्रहण के साथ), उसका आधार नामांकन आईडी स्लिप, अन्यथा बायोमैट्रिक अद्यतन आधार नामांकन आईडी स्लिप, या

(ii) नीचे पैरा (2) के उप-पैरा (2) में यथा-विनिर्दिष्ट लाभार्थी द्वारा आधार नामांकन के लिए किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) **पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के मामले में** :-

(i) यदि उसने नामांकन कराया है तो उसके माता या पिता, अधिमानत: माता (यदि माता-पिता अभिनिर्धारित हैं) अथवा कानूनी संरक्षक की आधार संख्या अथवा आधार नामांकन आईडी स्लिप के साथ उसका आधार नामांकन आईडी स्लिप; अथवा

(ii) नीचे पैरा (2) के उप-पैरा (2) में यथा-विनिर्दिष्ट लाभार्थी द्वारा आधार पंजीकरण के लिए किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ग) **स्कीम के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार माता-पिता अथवा कानूनी संरक्षक के साथ बच्चे के संबंध के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज़ में से कोई एक दस्तावेज़, अर्थात :–**

(i) समुचित सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र अथवा जन्म का रिकार्ड; अथवा

(ii) राशन कार्ड; अथवा

(iii) भूतपूर्व सैनिक अंशदाता स्वास्थ्य स्कीम (ईसीएचएस) कार्ड; या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) कार्ड; अथवा केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम (सीजीएचएस) कार्ड; अथवा

(iv) पेंशन कार्ड; या

(v) सेना कैंटीन कार्ड; या

(vi) कोई सरकारी परिवार पात्रता कार्ड; या

(vii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज़ :

परंतु यह और कि राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट रूप से पदानिहित किसी अधिकारी द्वारा उक्त दस्तावेज़ की जांच की जाएगी ।

2. इस स्कीम के अधीन लाभार्थियों को सुविधाजनक तरीके से और बिना परेशानी के लाभ प्रदान करने के लिए राज्य

सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के महिला और बाल विकास विभाग सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :-

(1) स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के बारे में लाभार्थियों को जागरूक बनाने के लिए प्रचार माध्यमों और वैयक्तिक सूचनाओं के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार किया जाएगा और उन्हें सलाह दी जाए कि वे उनके क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम आधार नामांकन केंद्र में अपना नामांकन करवाएं। स्थानीय नामांकन केंद्रों की सूची उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी ।

(2) यदि किसी कारणवश स्कीम के अंतर्गत लाभार्थी, यथास्थिति हो, अपने आसपास, जैसे ब्लॉक या तालुक या तहसील में नामांकन केंद्र उपलब्ध न होने के कारण आधार के लिए नामांकन नहीं करा पाते हैं, तो राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का महिला और बाल विकास विभाग सुविधाजनक स्थलों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा और लाभार्थियों से अनुरोध कर सकेगा कि वे अपना नाम, पता, मोबाइल नम्बर तथा अन्य ब्यौरा देते हुए आधार के लिए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के महिला और बाल विकास विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से पदानिहित संबंधित पदधारियों के पास अपना नामांकन कराएं, परंतु जहां कहीं संभव हो, उनके माता-पिता या बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष या बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित बाल कल्याण समिति के सदस्यों में से एक सदस्य की सहमति हो, जैसा कि पैरा 1 के उप-पैरा (4) के अंतर्गत पहले परन्तुक में विनिर्दिष्ट है ।

(3) यदि स्कीम के अधीन ऐसे लाभार्थी, जिन्होंने आधार के लिए नामांकन करा लिया है, किसी कारणवश आधार नम्बर देने में असमर्थ रहते हैं तो राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का महिला और बाल विकास विभाग सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराकर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के ग्राहक नामांकन और अद्यतनीकरण के माध्यम से "मेरा आधार खोजें" सुविधा प्रदान करेगा और लाभार्थियों से अनुरोध करेगा कि वे लाभार्थी का आधार खोजने के लिए अपेक्षित ब्यौरा, जैसे नाम, पता, मोबाइल नम्बर, फिंगर प्रिंट तथा अन्य ब्यौरा ऑपरेटर को प्रदान करते हुए सहायता पद्धति में अपने आधार नम्बर की खोज करें, परंतु आधार नम्बर को साझा करने, परिचालित करने अथवा प्रकाशित करने के संबंध में प्रतिबंधों के बारे में उक्त अधिनियम के उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों का पालन किया जाए।

3. सभी मामलों में, जहां आधार अधि-प्रमाणन लाभार्थी के खराब बायोमैट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से विफल हो जाता है, वहां निम्नलिखित अपवाद नियंत्रण तंत्र अपनाया जाएगा, अर्थात् :

(क) फिंगर प्रिंट की गुणवत्ता ठीक न होने की स्थिति में अधि-प्रमाणन के लिए आईरिस स्कैन की सुविधा अपनाई जाएगी, इस प्रकार राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के महिला और बाल विकास विभाग अपनी सेवा प्रदायगी अभिकरण के माध्यम से त्रुटिहीन ढ़ंग से लाभ प्रदान करने हेतु फिंगर प्रिंट स्कैनर के साथ आईरिस स्कैनर का उपबंध करेगा।

(ख) लाभार्थियों के फिंगर प्रिंट या आईरिस अधि-प्रमाणन में कठिनाई की स्थिति में चेहरा अधि-प्रमाणन का प्रयोग किया जाएगा तथा राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के महिला और बाल विकास विभाग ऐसे लाभार्थियों जिनका अन्य ढंग से अधि-प्रमाणन विफल हो जाता है, के लिए संभव होने पर चेहरा अधि-प्रमाणन की व्यवस्था करेगा।

(ग) यदि फिंगर प्रिंट या आईरिस या चेहरा अधि-प्रमाणन के माध्यम से बायोमैट्रिक्स अधि-प्रमाणन सफल नहीं होता है तो जब कभी संभव और अनुमत हो यथा स्थिति सीमित समय विधि मान्यता के साथ आधार वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) या समय आधारित वन टाइम पासवर्ड (टीओटीपी) द्वारा अधिप्रमाणन किया जाएगा।

(घ) (i) अन्य सभी मामलों में जहां बायोमैट्रिक्स या वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) या समय आधारित वन टाइम पासवर्ड (टीओटीपी) अधि-प्रमाणन संभव नहीं है, वहां भौतिक आधार पत्र के आधार पर लाभ दिए जा सकेंगे, जिसकी अधि-प्रामाणिकता का सत्यापन आधार पत्र पर मुद्रित क्यूआर कोड के माध्यम से किया जा सकता है;

(ii) उपखंड (i) के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के महिला और बाल विकास विभाग आधार पत्र या ई-आधार पर मुद्रित क्यूआर कोड पढ़ने के लिए सेवा प्रदायगी के बिंदु पर क्यूआर कोड रीडर उपलब्ध कराएंगे, जो आधार कार्ड की प्रामाणिकता का ऑफ लाइन रीति में सत्यापन अनुज्ञात करता है;

(iii) क्यूआर कोड वरीयत: यूआईडीएआई द्वारा विकसित सिक्योर क्यूआर कोर्ड रीडर के माध्यम से पढ़ा जाएगा क्योंकि यह आधार धारक के डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित ब्यौरे प्रदान करता है और ऐसे सभी मामलों में इस प्रयोजनार्थ निर्मित अपवाद नियंत्रण रजिस्टर में लेन-देन को विधिवत रूप से रिकार्ड करने के पश्चात लाभ प्रदान किए जा सकेंगे, जिसकी राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आवधिक आधार पर पुर्नविलोकन और लेखा परीक्षा की जानी होती है तथा इन रजिस्टरों का अनुरक्षण और आवधिक निरीक्षण अपवाद नियंत्रण तंत्र का आवश्यक घटक होगा।

4. यह स्पष्ट किया जाता है कि योजना के अधीन किसी भी लाभार्थी को इस कारण से लाभों से वंचित नहीं किया जाएगा कि वह आधार नम्बर प्रस्तुत करने में असमर्थ है और उपर्युक्त पैरा 1 के उप-पैरा (4) में उल्लिखित अन्य दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान का सत्यापन करके लाभार्थी को लाभ प्रदान किए जाएंगे। जब कभी अन्य दस्तावेजों के आधार पर लाभ प्रदान किए जाते हैं, उसका अभिलेखा एक पृथक रजिस्टर में रखा जाएगा, जिसकी राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आवधिक आधार पर पुनरीक्षण और लेखा परीक्षा की जाएगी।

5. यह अधिसूचना जम्मू और काश्मीर राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[सं. 14-10/2016-सीडब्ल्यू-II]

आस्था सक्सेना खटवानी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 2018

S.O. 6110(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And, whereas, the Ministry of Women and Child Development in the Government of India (hereinafter referred to as the Ministry) is administering the Centrally Sponsored Child Protection Services Scheme (hereinafter referred to as the Scheme) with the objective of creating safety net of service delivery structures at National, State and District level for the children as acknowledged in Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015. The Scheme provides for the rehabilitation and social re-integration of children, through institutional and non-institutional care along with through engagement with the statutory and schematic service delivery structures;

And, whereas, the Scheme provides services, that *inter-alia*, include preventive, statutory care and rehabilitation; or benefits that are either in cash or in kind like placement of children in need of care and protection for their care, treatment, nutrition, clothing, bedding, daily needs, entertainment etc. (hereinafter referred to as the benefits) to the children who fall within the ambit of Juvenile Justice Act (Care and Protection of Children) Act, 2015 (hereinafter referred to as the beneficiaries);

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

2. (1) A beneficiary desirous of availing the benefits under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any eligible beneficiary desirous of availing the benefits under the Scheme or any beneficiary, as ordered by the Child Welfare Committee or Juvenile Justice Board, who do not possess the Aadhaar number or not yet enrolled for Aadhaar, shall have to apply for Aadhaar enrolment subject to the consent of their parents wherever possible, otherwise that of the Chairperson, Child Welfare Committee or one of the members of the Child Welfare Committee nominated by the Chairperson, Child Welfare Committee, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act, and such individual may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Women and Child Development Department in the State Governments or Union territory Administrations, is required to offer Aadhaar enrolment facility for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and who wishes to enroll for Aadhaar, and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Women and Child Development Department in the State Governments or Union territory Administrations shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient location in

coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India (UIDAI) or by becoming Unique Identification Authority of India (UIDAI) Registrars.

(4) The Aadhaar enrolment process as prescribed in regulation 5 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016 shall be followed for children beneficiaries below the age of five years:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals subject to production of the following documents, namely:-

(a) In case of children above five years of age:-

(i) if the child was enrolled after the age of five years (with biometrics collection), his or her Aadhaar Enrolment ID slip, otherwise the bio-metric update Aadhaar Enrolment ID slip, or

(ii) a copy of the request made for Aadhaar enrolment by the beneficiary, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph (2) below; and

(b) In case of children below five years of age:-

(i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip, with Aadhaar number or Aadhaar Enrolment ID slip of any of the parents, preferably mother (if parents are identified), or of the legal guardian; or

(ii) a copy of the request made for Aadhaar enrolment by the beneficiary as specified in sub-paragraph (2) of paragraph (2) below; and

(c) any one of the following documents as proof of relationship of the child with the parent or legal guardian, as per the extant Scheme guidelines namely:–

(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate Government Authority; or

(ii) Ration Card; or

(iii) Ex-servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) Card; or Employees' State Insurance Corporation (ESIC) Card; or Central Government Health Scheme (CGHS) Card; or

(iv) Pension Card; or

(v) Army Canteen Card; or

(vi) any Government Family Entitlement Card; or

(vii) any other document as specified by the Central Government or State Government or Union territory Administration:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the State Government and Union territory Administration for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Women and Child Development Department in the State Government or Union territory Administration shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(1) Wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) In case, for any reason, the beneficiaries under the scheme, as the case may be, are not able to enrol for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Women and Child Development Department in the State Governments or Union territory Administrations shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations and beneficiaries may be requested to register for Aadhaar enrolment by giving their name, address, mobile number and other details and subject to the consent of their parents wherever possible, or that of Chairperson, Child Welfare Committee or one of the members of the Child Welfare Committee as nominated by Chairperson, Child Welfare Committee as specified in the first proviso under sub-paragraph (4) of paragraph 1, with the concerned officials specifically designated by Women and Child Development Department in the State Governments or Union territory Administrations.

(3) In case, the beneficiaries under the Scheme who have enrolled for Aadhaar however, are not able to produce Aadhaar number for any reason whatsoever, the Women and Child Development

Department in the State Governments or Union territory Administration shall provide "Search My Aadhaar" facility through Unique Identification Authority of India's (UIDAI's) Enrolment and Update Client by facilitating Aadhaar enrolment facilities at convenient locations and the beneficiaries may be requested to search their Aadhaar in assisted mode by giving their name, address, mobile number, fingerprints and other details with the operator required to search beneficiary's Aadhaar, subject to the provisions of the said Act and regulations made thereunder with respect to restriction on sharing, circulating or publishing of Aadhaar number.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of beneficiaries or due to any other reason, the following exception handling mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, IRIS scan facility shall be adopted for authentication, thereby the Women and Child Development Department in the State Governments or Union territory Administrations shall through its services delivery agency make provisions for IRIS scanners along with fingerprint scanners for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case of difficulty in fingerprints or IRIS authentication of the beneficiaries, face authentication shall be used and the Women and Child Development Department in the State Governments or Union territory Administrations shall make arrangements for face authentication wherever feasible, for those beneficiaries whose other modes of authentication fail.

(c) in case of biometric authentication through fingerprints or IRIS or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password (OTP) or Time-based One-Time Password (TOTP) with limited time validity, as the case may be, shall be preferred;

(d) (i) in all other cases where biometric or One Time Password (OTP) or Time based One Time Password (TOTP) authentication is not possible, benefits may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the QR code printed on the Aadhaar letter;

(ii) for the purpose of sub-clause (i), the Women and Child Development Department in the State Governments or Union territory Administrations shall provide QR code readers at point of service delivery to read QR code printed on Aadhaar Letter on E-Aadhaar which allows verifying the authenticity of Aadhaar Card in offline manner;

(iii) the QR code shall preferably be read through Secure QR code reader developed by UIDAI as it provides digitally signed details of Aadhaar holder and in all such cases the benefits may be provided after duly recording the transaction in the exception handling register made for this purpose, which is to be reviewed and audited periodically by the Women and Child Development Department in the State Governments or Union territory Administrations, and maintenance of these registers and periodic inspection shall be an essential component of exception handling mechanism.

4. It is clarified that no beneficiary shall be denied benefits under the Scheme for reasons that he or she is unable to produce the Aadhaar number and benefits shall be given to the beneficiary by verifying his or her identity on the basis of other documents as mentioned at sub-paragraph (4) of paragraph 1 above. Whenever benefits are delivered on the basis of other documents, a separate register shall be maintained to record the same, which is to be reviewed and audited periodically by the Women and Child Development Department in the State Governments or Union territory Administrations.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the State of Jammu and Kashmir.

[No.14-10/2016-CW II]

AASTHA SAXENA KHATWANI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.12.14 16:10:10 +05'30'